फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (पाली)
जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– जगदीशराम पुत्र भनाराम **बनाम** :–अप्रार्थी :– भनाराम पुत्र भीयाराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. २० /सन 2020

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20	वकील प्रार्थी उपस्थित।	५।। 20/8/2020

वकील प्रार्थी उपस्थित।

वकील प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण मे खसरा नम्बर 189/8 रकबा 0–02 बीघा, ख.नं. 254 रकबा 22–15 बीघा, ख.नं. 258 रकबा 27–05 बीघा, ख.नं. 259 रकबा 0–07 बीघा कुल खसरा–4 कुल रकबा 50–09 बीघा आयी हुई हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 व वादपत्र के प्रतिवादी सं. 03 व 04 हिन्दू मुस्तका खानदान के सदस्य होकर पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि में माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी पैतृक पुस्तैनी होने से प्रार्थी का हक हिस्सा आता हैं लेकिन अप्रार्थी सं. 01 पिता व 2 भाइ मिलकर प्रार्थी को उक्त आराजी से वंचित रखना चाह रहे हैं उक्त आराजी को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमदा हैं। प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा हैं। प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा भी किया जिसका मुकदमा थाने मे दर्ज हुआ हैं। अप्रार्थी सं. 01 के 1/3 हिस्से में प्रार्थी का बाई बर्थ हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हैं। उक्त आराजी में माफिक हिस्से अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से में काश्त करे काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावें एवं फसल बोवें तो अप्रार्थीगण किसी तरह से दखलदांजी नही करे, बैचान रहन आदि नही करें एवं वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंद किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायलान बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर एकपक्षीय बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत हो रहा हैं। अतः आगामी पेशी तक अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी का बैचान न करें, जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 01 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण मे खसरा नम्बर 189/8 रकबा 0–02 बीघा, ख.नं. 254 रकबा 22–15 बीघा, ख.नं. 258 रकबा 27–05 बीघा, ख.नं. 259 रकबा 0–07 बीघा कुल खसरा–4 कुल रकबा 50–09 बीघा आयी हुई हैं। आगामी पेशी तक अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी का बैचान न करें, जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 19.08..2020 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

19/8/20 वकला उप०।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील निकेश चौहान ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया।
वकील प्रार्थी द्वारा मूल वाद में वाद पत्र मय तरमीम विड्रोल रजिस्टर करने का पेश करने से प्रार्थीगण

Signature Not Verifi
Digitally signed by Jawal
Choudhary
Date: 2020.09.07 12:11:
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का मूल वाद खारिज हो चुका है। मूल वाद जरिये विद्धेश खारिज होने से अब इस प्रा.पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहते अतः प्रभावहीन होने से प्रार्थी का उक्त प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। आदेश जारी हो।